मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
तृतीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

पत्र क्र. 221/MPRRDA/PMGSY-IV/130/2025 भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई .... (म.प्र.)

विषय :- **Approved Guidelines of Phase –IV of PMGSY.**

संदर्भ :- MoRD का DO No.–P17025/52/2019–RC (e.369070) दिनांक 24.12.2024।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र से PMGSY-IV योजना के दिशा निर्देश प्राप्त हुये है, जिसकी प्रति आपको प्रेषित कर लेख है कि दिशा निर्देश के अनुरूप PMGSY-IV योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ करें। दिशा निर्देश के अनुसार सर्वप्रथम DRRP (District Rural Road Plan) को पुनरीक्षित कर OMMAS में Habitation की अद्यतन स्थिति एवं अद्यतन तक निर्मित मार्गो की स्थिति को GIS पर किया जाना है, उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात प्राथमिकता सूची CNCPL दिशा निर्देशों में उल्लेखित पात्रता के अनुरूप तैयार किया जाना है।

DRRP का पुनरीक्षण OMMAS पर एवं मार्गो की स्थिति GIS पर दर्शित करने के पूर्व आवश्यक है कि फील्ड स्थिति के अनुसार बसाहटों एवं मार्गो की Inventory हार्ड कॉपी में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार की जावे, ताकि OMMAS का Lock Open होने पर प्रविष्टि का कार्य शीघ्र किया जा सके।

PMGSY-IV के अंतर्गत जनगणना 2011 की आबादी के अनुसार बारहमासी सड़क से संपर्कविहीन बसाहटों को पुल/पुलियों सहित एकल संपर्कता प्रदान किया जाना है, पात्रता निम्नानुसार है –

- 500+ सामान्य विकासखण्ड में

- 250+ आदिवासी विकासखण्ड (Schedule V) एवं आकांक्षी जिला (Aspirational Districts/ Block
- 100+ LWE प्रभावित जिले (बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डौरी)

DRRP पुनरीक्षण की SOP निम्नानुसार होगी –

1. योजना के अंतर्गत बसाहट अर्थात टोला/मजरा/धानी इत्यादि को यूनिट मान्य किया गया है न कि राजस्व ग्राम अथवा ग्राम पंचायत।
2. बसाहट का अर्थ Cluster of Population जो कि एक स्थान पर स्थाई रूप से निवास करती है।
3. बारहमासी सड़क से तात्पर्य यह है कि मार्ग में पुल–पुलियों का कार्य पूर्ण हो तथा निर्मित किये गये मार्ग के एक भाग में एक बार अधिकतम 24 घण्टे तक पुल–पुलियों के ऊपर से पानी का बहाव होने पर यातायात में रूकावट होती हो तथा ऐसी स्थिति वर्ष में छः बार से अधिक निर्मित न होती हो।
4. संपर्कविहीन बसाहट वह बसाहट मान्य की जायेगी जो कि बारहमासी सड़क अथवा संपर्कता प्राप्त बसाहट के 500 मीटर या अधिक दूरी पर स्थित हो।
5. अर्थवर्क से संपर्कता प्राप्त मार्ग जिस पर पर्याप्त पुल–पुलियों का निर्माण न हो ऐसी बसाहट संपर्कविहीन मान्य होगी।
6. उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक–3 पर उल्लेखित बारहमासी सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुये ग्रेवल मार्गो से जुडी बसाहटों के संपर्कता की स्थिति का आंकलन कर संपर्कविहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया जाये।
7. जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बसाहट की जनसंख्या निर्धारित करने हेतु PMGSY-IV योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार बसाहट की Population Size मान्य होगी।

8. Population Size का अर्थ यह है कि 500 मीटर के Radius में स्थित सभी बसाहटों की आबादी को जोड़कर Population Size निर्धारित की जाये।

9. बसाहट की आबादी, जनगणना वर्ष 2011 का प्रमाणीकरण राज्य सरकार/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

10. बसाहटों की Inventory OMMAS पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके अंतर्गत मुख्यतः बसाहट की आबादी, संपर्कता की स्थिति, उपलब्ध सुविधायें इत्यादि विवरण दर्ज किया जाना होगा।

11. उक्त कार्य OMMAS पोर्टल पर किये जाने के पूर्व आवश्यक है कि Operation Manual में दिये गये प्रपत्र (जो कि संलग्न है) हार्ड कॉपी में विकासखण्डवार तैयार कर लिये जाये एवं विद्यमान सभी मार्गो एवं संपर्कविहीन बसाहट हेतु प्रस्तावित एकरेखण को टोपोशीट/ट्रेस मेप की प्रति में मार्गो/बसाहटों की स्थिति के साथ दर्शित कर लिया जाये।

12. **विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि DRRP में पूर्व से दर्ज बसाहट की पुनरावृत्ति नहीं की जावे। आवश्यकतानुसार संपर्कता की स्थिति, आबादी इत्यादि को अपडेट किया जा सकता है।**

13. मार्गो की Inventory Geo Sadak पोर्टल पर दर्शित करना। इस कार्य में मुख्यतः विकासखण्ड के अंतर्गत विद्यमान सभी मार्गो (NH/SH/MDR/ODR/VR) को दर्शित किया जाना है तथा OMMAS पोर्टल पर DRRP में जोडी गई नई बसाहट के लिये प्रस्तावित एकरेखण को भी Geo Sadak पोर्टल पर दर्शित किया जाना है।

14. **विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि Geo Sadak पर पूर्व से दर्शित मार्ग की पुनरावृत्ति न की जावे। आवश्यकतानुसार पूर्व दर्शित मार्ग के टाईप ऑफ सरफेस/जुड़ने वाली बसाहट इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा सकता है।**

15. अद्यतन स्थिति तक आपके द्वारा जिन ग्रामों/बसाहटों का ग्राम सड़क सर्वे एप से सर्वे कर लिया गया है वे सभी ग्राम OMMAS पर पूर्व से अपलोड हैं। अतः इन्हें पुनः DRRP के पुनरीक्षण के समय OMMAS पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है परंतु इन ग्रामों/बसाहटों की संपर्कता की स्थिति OMMAS पर अवश्य चेक करें। यदि ग्रामों/बसाहटों की संपर्कता Connected अंकित हो तो उसे परिवर्तित कर Unconnected करें।

उपरोक्त कार्यवाही DRRP के पुनरीक्षण से संबंधित है। DRRP का पुनरीक्षण OMMAS पर एवं Geo Sadak पर किये जाने के पश्चात सभी संपर्कविहीन पात्र बसाहटों का ग्राम सड़क सर्वे एप से सर्वे किया जाना है **ध्यान दें कि जिन ग्रामों का सर्वे आपके द्वारा पूर्व में कर लिया गया है उनकी पुनरावृत्ति न करें** OMMAS पर सर्वे अपलोड करते समय मार्ग की Approximate Length अवश्य अंकित करें।

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात मार्गो की प्राथमिकता सूची CNCPL तैयार किया जाना है CNCPL का प्रपत्र निम्नानुसार है –

S.No.	Name of Road	Through Route (TR)/Link Route (LR)	Code in CN	Length	Population served	Habitations to be connected	Present status (earthen track, etc.)	Name & No. of TR associate

CNCPL में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा –

- **प्रथम प्राथमिकता** – धरती आबा–जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 500+ की बसाहट जिसमें 50 प्रतिशत या अधिक Schedule Tribe (ST) आबादी (जनगणना वर्ष 2011)
- **द्वितीय प्राथमिकता** –

- PMGSY-IV में पात्र आबादी एवं भारत सरकार की Convergence Schemes के अंतर्गत शामिल ग्रामीण मार्ग घटक के ग्राम समय–समय पर में ग्रामीण
- 1000+ आबादी की बसाहट

➢ **तृतीय प्राथमिकता –**

- 500–999 आबादी की बसाहट

➢ **चतुर्थ प्राथमिकता –**

- 250–499 आबादी की बसाहट

➢ **पंचम प्राथमिकता –**

- 100–249 आबादी की बसाहट

उपरोक्तानुसार तैयार CNCPL के अनुमोदन की निम्न प्रक्रिया होगी –

- CNCPL तैयार होने के पश्चात माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) एवं माननीय विधायक तथा जनपद पंचायत को CNCPL की प्रति प्रेषित कर सुझाव प्राप्त करना।
- माननीय संसद सदस्य/माननीय विधायक/स्थानीय पंचायती राज संस्थान से प्राप्त सुझावों पर विचार कर दिशा–निर्देश के अनुरूप प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुये अंतिम CNCPL की सूची तैयार की जाये।
- पी.आई.यू. द्वारा माननीय संसद सदस्य से प्राप्त प्रस्ताव की सूची प्रपत्र MP-I में तैयार की जायेगी एवं की गई कार्यवाही से प्रपत्र MP-II में तैयार की जायेगी एवं जिला पंचायत के समक्ष MP-II प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिला पंचायत की साधारण सभा में अंतिम CNCPL सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

- जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात CNCPL की प्रति मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक–1 से 15 की समस्त कार्यवाही दिनांक 20.01.2025 तक किये जाने की सीमा निर्धारित की गई है। तदानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रखें कि उक्त कार्य जिम्मेदारी एवं सावधानीपूर्वक किया जाये, गलत जानकारी अथवा किसी पात्र बसाहट के छूट जाने की स्थिति से संबंधित तथ्य कार्यवाही पूर्णता के पश्चात प्राप्त होने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विजय गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ. क्र. 222/**MPRRDA / PMGSY-IV** / 130 / 2025 भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपि :–

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि उपरोक्त कार्यवाही की सतत समीक्षा करें और समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल